

दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात केन्द्र की पहल के रूप में जिले

1277 : श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत दो वर्षों के दौरान देश भर में जिलों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में वर्गीकृत जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में निर्यात केन्द्र के रूप में जिला पहल के तहत निर्यात किए गए माल का जिला-वार कुल मूल्य कितना है;
- (ग) उक्त योजना के तहत जिला निर्यात कार्य योजनाओं के तहत चिन्हित उत्पादों और सेवाओं का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में निर्यात केन्द्र के रूप में जिला पहल के बारे में जागरूकता और व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार ने निर्यात केन्द्र के रूप में जिला पहल के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो विशेष रूप में आंध्र प्रदेश का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): निर्यात हब के रूप में जिले पहल के अन्तर्गत निर्यात संवर्धन के लिए कोई विशिष्ट धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।

(ख): मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी आंकड़े का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ग): निर्यात हब के रूप में जिले पहल के अन्तर्गत राज्यवार पहचाने गए उत्पादों/सेवाओं की सूची डीजीएफटी पोर्टल ([www.dgft.gov.in/CP/](http://www.dgft.gov.in/CP/)) के होम पेज पर क्विक लिंक में निर्यात हब के रूप में जिले शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

(घ) और (ङ): सरकार ने निर्यात हब के रूप में जिले पहल के तहत जिलों से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उपाए किए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन कर संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। "निर्यात हब के रूप में जिले" के अंतर्गत जिला निर्यात कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिनमें आपूर्ति श्रृंखला में विद्यमान बाधाओं तथा विद्यमान कमियों को कम करने के लिए संभावित उपायों की पहचान की गई है। इनमें, जिलों में नए निर्यात हेतु व्यवसाय को सहयोग देकर तथा रोजगार के अवसर

पैदा करके पहचाने गए उत्पादों और सेवाओं के निर्बाध निर्यात के लिए स्थानीय निर्यातकों और निर्माताओं को अपेक्षित सहयोग की रूपरेखा दी गई है। "निर्यात हब के रूप में जिले पहल" के तहत जिलों से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, विभिन्न जिलों में निर्यात संवर्धन आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें निर्यातकों के साथ सहायता सत्र और विभिन्न संबंधित इकाइयों/विभागों जैसे डाक विभाग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी), बैंकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), निर्यात संवर्धन परिषदों, स्थानीय व्यापार संघों/चैंबरों, जिला उद्योग केन्द्रों आदि के प्रतिनिधियों के साथ-साथ निर्यातकों के साथ निर्यात संबंधी जागरुकता सत्र शामिल हैं। इसके अलावा, विशेष रूप से ई-कॉमर्स निर्यात के प्रस्तावित कार्यान्वयन से रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के जिलों में पांच निर्यात जागरुकता बैठकें/हितधारक बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें "निर्यात हब के रूप में जिले" पहल के तहत आयोजित आउटरीच कार्यक्रमों के तहत 700 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया।

\*\*\*\*\*